

हरियाणा वधानसभा भंग

चर्चा में क्यों

हाल ही में 6 महीने के भीतर अनविरूप से सत्र बुलाने के संभावित **संवैधानिक मुद्दे** को रोकने के लिये चुनाव से पहले हरियाणा वधानसभा को **भंग** कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा वधानसभा को **मुख्यमंत्री** और **मंत्रपरिषद** की सफारिश पर संवधान के **अनुच्छेद 174(2)(b)** के तहत **राज्यपाल** द्वारा भंग कर दिया गया था।
 - संवधान का **अनुच्छेद 174(2)(b)** **राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह** पर वधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हालाँकि राज्यपाल तब अपना वविक इस्तेमाल कर सकते हैं जब सलाह किसी ऐसे मुख्यमंत्री की ओर से आए जिसका बहुमत संदेह में हो।
 - संवधान का **अनुच्छेद 174** **राज्यपाल को राज्य वधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने** का अधिकार देता है।
- **वधितन** का उद्देश्य अंतिम वधानसभा बैठक, जो 13 मार्च, 2024 को हुई थी, के **छह महीने के भीतर सत्र बुलाने की आवश्यकता** को रोकना था, जिसका सत्र 12 सितंबर, 2024 तक होना था।
- **अनुच्छेद 174(1)**: राज्यपाल समय-समय पर **राज्य वधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन** को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन होने के लिये बुलाएगा, जैसा वह ठीक समझे, कति एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी प्रथम बैठक के लिये नयित तथिके बीच **छह माह का अंतर** नहीं होगा।

राज्यपाल

- **अनुच्छेद 153** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्तिको **दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल** नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा की जाती है तथा वह केंद्र सरकार का नामति व्यक्त होता है।
- ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है।
 - वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जो अपने **मंत्रपरिषद** की सलाह से बाध्य है।
 - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- **अनुच्छेद 157 और 158** राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को वनिरिदषिट करते हैं
- राज्यपाल को **क्षमादान**, दण्ड-स्थगन आदि देने की शक्ति प्रापत है (**अनुच्छेद 161**)।
- राज्यपाल को उनके कार्यों के नरिवहन में सहायता और सलाह देने के लिये, वविकाधिकार की कुछ शर्तों को छोड़कर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समति होती है। (**अनुच्छेद 163**)
- राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है (**अनुच्छेद 164**)।
- राज्यपाल वधान सभा द्वारा पारति वधियक को अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है या राष्ट्रपति के वचिर के लिये सुरक्षति रखता है (**अनुच्छेद 200**)।
- राज्यपाल कुछ वशिष परस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। (**अनुच्छेद 213**)

